FORM-I

(for linear projects)
Government of
Office of the District Collector

No. 16(1)

Dated 16.11.19

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 17-9/98-FG (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.01 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of 0.1.2 (name of user agency) for 0.11.1 (purpose for diversion of forest land) **Definition** (purpose for diversion of forest land) **Defi

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl.: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-H

(for projects other than linear projects) Government of Office of the District Collector

Nu. 16(2)

Dated16.11.19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 71-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Porest Dwellers (Recognition of Porest Rights) Act. 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.07 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of .U.7.1 (name of user agency) for 0.H.T (purpose for diversion or forest land) in John Wistrict falls within jurisdiction of bulyar. village(s) in behalfehsits.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to annexure
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in *(*b) vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram aabha of villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a (d)quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where (f)applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl_e: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Dehradun (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of D.D.m. district constituted under FRA, 2006

was he	ld und	er the cl	nairma	nship c	of N	1r. /M	rs. /Miss		••••		
							13.11.19				
Deputy	con	nmissior	ner		on	date	edat	timeat	whi	ch applic	ation
		ts in			•••••		area meas	uringD:DZ5h	a for t	the constru	ıction
Forest	land	under	FAR,	2006	if	the	following	applicant	duly	processed	and
recom	nende	d by tl	ne sub	divisi	on	level	commit	tee of	Suk	division	were

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above

discussed to consider the same for admission by the district level committee.

Place: Dehsadim.

Dated: 16:11:19

case for diversion of land for the said purpose.

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District level committee

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून। जनपद– देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः—

दिनांक 13.11.14 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद—देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर में ... के निर्माण हेतु अपेक्षित १०.१८ हैं। आरिक्षित वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु १०.१८ हैं। वन भूमि वन विभाग से ३८१११११० का प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा /ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उत्त १०.१८ हैं। आरिक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के रायपुर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी देहरादून व	ठी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।	
	(कहकशां नसीम)	(Pj)
जिला समाज कल्याण अधिकारी श देहरादून देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी देन प्रभाग ने मस्कारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	जिलाधिकारी देहराटन
प.सं0//	/दिनांक 16,11,19	विलाधिकारी
प्रतिलिपि —	देहरादून को सूचनार्थ एंव आ	वश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय — उप जिलाधिकारी, देहरादून। अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून।

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की रायपुर रेंज के अन्तर्गत विकास खण्ड रायपुर
में के निर्माण हेतु अपेक्षित है० आरक्षित वन भूमि का
वहरादून /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और
अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय
समिति,(तहसील–देहरादून) की दिनांक. 🖭 🧐 19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनयम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
की अनुशंसा की गयी है।
सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।
बैठक में सर्वसममित से उपखण्ड़ देहरादून परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित
तहसील जनपद—प्रितिलिपि — जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु। उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार खुमिति
तहसील जनपद—

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम- वार्ड- 65, दो भारा नी की तहसील प्रस्ता

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मित द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लगाउनु के ग्रामवासियों को उक्त आरक्षित वन भूमि को उठ डी॰ राजपुर देहरादून / प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपित नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0

ग्राम सचिव मुहर सहित ह0 **प्रिक्र** ग्राम प्रधान पुहर राहित